न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं०–6,गाजियाबाद।

सत्र परीक्षण सं.–609/2019
राज्य प्रति सुनील आदि
धारा–147,148,34,201,302 भा०दं०सं०,
थाना मोदीनगर, गाजियाबाद।

दिनांक 22–02–2021

आज पत्रावली उन्मोचन प्रा०पत्र अं०धारा 227 दं०प्रं०सं०कागज सं०–40ख पर आदेशार्थ पेश हुयी।

उक्त प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रार्थी/अभियुक्त मोण्टी की ओर से मुख्य रूप से यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया है कि उक्त केस मे प्रार्थी/अभियुक्त नामजद अभियुक्त नही है, न ही उसकी कोई भूमिका अंकित की गयी है। घटना घटित करने वाले गार्ड सुनील व संदीप, जो कि पेंथर सिक्योरिटी एजेंसी मेरठ से सम्बन्धित है, प्रार्थी का उनसे या कथित बंद मोदी फैक्टरी से कोई वास्ता सरोकार नही है। प्रार्थी/अभियुक्त का घटना कारित करने का कोई कारण भी दर्शित नही है तथा उसके विरूद्ध घटना से सम्बन्धित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षदर्शी साक्षी किसी प्रकार से नही है। स्वतन्त्र साक्षी सुखे सिंह के बयान के अनुसार नारद ने साक्ष्य हेतु विडियो बनायी थी, मोण्टी पास मे खडा था। नारद व मोण्टी ने बताया कि हमे नही पता कि मृतक की कितनी पिटाई की है कि वह मर जाएगा। हमने, मैनेजर व पुलिस को सूचना देने के लिए कहकर आ गए थे और श्रमिक नेताओ को भी बताया था कि हमने उस व्यक्ति की विडियो बनायी थी, आप पुलिस को सूचना कर दे। मोण्टी व नारद घटना की विडियो बनाकर सूचना की कहकर अपने घर चले गए थे। इन बच्चो ने मृतक अनिल की हत्या नही की। स्वतन्त्र साक्षी राकेश, विपिन, अरविन्द चौधरी, रूपदीपक यादव ने प्रायः समान प्रकार के बयान देते हुए मोण्टी व नारद को घटना से सम्बन्धित होना नही कहा है। प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त घटना मे न तो कोई सहयोग है और न ही घटना कारित की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सबूत नष्ट करने का प्रयास नही किया गया है बल्कि प्रार्थी/अभियुक्त व उसके साथी नारद द्वारा मृतक की आयी चोटो की बाबत वीडियो बनायी गयी जिससे साक्ष्य नष्ट करने अथवा छिपाने का कोई दोष नही है। फिर भी विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा–201 भा०दं०सं० का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त तथ्यो के आधार पर उन्मोचित किया जाना अति आवश्यक है, अन्यथा प्रार्थी द्वारा केस की घटना से सम्बन्धित वीडियो बनाकर घटना को उजागर करने का तथ्य समाप्त हो जाएगा तथा उसकी अपूर्णनीय हानि होगी। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को उन्मोचित किए जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि परचा सं०–9 पर गवाहान श्यामवीर, राकेश, विपिन, अरविन्द चौधरी, रूपदीपक यादव के बयान मे प्रार्थी के खडे रहने की बात कही गयी है, उन्होने वीडियो बनायी थी। इस स्तर पर उन्हे उन्मोचित न किए जोन की प्रार्थना की गयी है।

सुना एव पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण मे विवेचक द्वारा गवाहान के बयान तथा संकलित साक्ष्य के आधार पर यह कहते हुए कि, अभियुक्तगण नारद व मोण्टी शर्म द्वारा घटना की विडियो बनायी गयी और उसे छिपाया गया उनके विरूद्ध धारा– 201 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया। गवाहान के बयान के

अनुसार घटनास्थल पर अभियुक्त नारद व प्रार्थी/अभियुक्त मोण्टी द्वारा वीडियो बनाकर सूचना की बात कहकर अपने घर चले जाना कहा गया है। उपरोक्त परिस्थितियो मे इस स्तर पर यह निष्कर्षित नही किया जा सकता कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नही है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रा०पत्र का०सं० 40 ख स्वीकार होने योग्य नही है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रा०पत्र का०सं० 40 ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली आरोप विरचित करने हेतु लंच बाद पेश हो।

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं०–6,
गाजियाबाद।